TITLE OF THE THESIS

"ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश में स्वातन्त्रोत्तर सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयो का प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मे योगदान"

(एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

A
RESEARCH PROPOSAL
SUBMITTED
TO THE
SHRI JAGDISHPRASAD JHABARMAL
TIBREWALA UNIVERSITY, RAJASTHAN
FOR THE DEGREE OF

DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN
EDUCATION

BY

MR. VIKAS GORE
(Reg. No. 91010020)
UNDER THE GUIDANCE OF
Dr. Mridul Kr. Verma
Associate Professor
Faculty of Education
A.K. (P.G.) College, Shikohabad
Distt.-Firozabad (U.P.)
Dr. M.K. VERMA

DEPARTMENT OF EDUCATION (FACULTY)

SHRI JAGDISHPRASAD JHABARMAL TIBREWALA UNIVERSITY, CHUDELA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN

(1) Title of Thesis- "ग्वालियर संभाग की स्वातंत्र्योत्तर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन में सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों का योगदान"

(2) Preamble-

समस्त सृष्टि के रचनाकार परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अपनी कृति का सृजन किया है। जन्म लेने के बाद कई वर्षों तक निरूपाय पर निर्भर रहने वाला यह मनुष्य बड़ा होकर समस्त प्राणि जगत का शासक बन बैठता है। केवल भूमण्डल पर ही नहीं वो जल और आकाश पर भी अपने पैर जमा लेता है परन्तु जन्म लेने के तुरन्त बाद चलना–फिरना आरम्भ करने वाला हुष्ट–पुष्ट और स्वावलम्बी पशु हजारों वर्षों के बाद भी जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है। यह सब अन्तर कैसे हुआ इसका उत्तर है शिक्षा। शिक्षा अर्थात् सीखने और सिखाने की क्षमता।

सम्पूर्ण विश्व में प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया है कि –"किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा अपना विशिष्ट स्थान रखती है, क्यों कि यही शिक्षा प्रथम सीढ़ी या कड़ी होती है।"

इसी प्रथम सीढ़ी को पार करके ही कोई भी राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 'डॉ. पाठक' ने प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि–"राष्ट्र जीवन के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनैतिक, या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है। इसका सम्बन्ध किसी विशेषव्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इसका हर कदम पर व्यक्ति के जीवन से सम्पर्क होता है।

प्राथमिक शिक्षा अथवा जन–साधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलाधार है। इस शिक्षा की अवहेलना करने के कारण ही भारत का पतन हुआ अंततः इसका उत्थान करके ही देश का कल्याण हो सकता है। स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि–" मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जब तक कि भारत में जन साधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा"।

सन् 1947 में अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति तो मिल गयी, राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनेकों योजनाएं भी बनायी गयी परन्तु इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि स्वाधीन भारत की शिक्षा–व्यवस्था का यह सदा–सर्वदा उपेक्षित विषय अभी तक चलता आ रहा है। आज तो और अधिक दुर्दशा दिखाई देती है। पराधीन भारत में तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की आलोचना करने का कार्य सभी लोग करते थे लेकिन स्वाधीन भारत में अंग्रेजों के मानस पुत्रों को ही प्राथमिकता प्राप्त हो गयी। प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन समय में देश का एक ऐसा जागरूक वर्ग था जो प्रचलित शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट था तथा स्वातंत्र्योत्तर भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले सुधारों या परिवर्तनों से भी असहमत था। सभी प्रचलित शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे।

परिणामस्वरूप परिस्थिति की इस गंभीरता, कार्य की जटिलता, प्रकाण्ड एवं अनुभवी शिक्षाविद्‌ों की अनुपलब्धता के भयंकर संकट को देखते हुए एवं राष्ट्र की महती आकांशा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करने का संकल्प ले डाला।

यह संतोष का विषय था कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में भारतीय शिक्षा के विकास हेतु गैर सरकारी क्षेत्र में सम्पूर्ण देश में एक चिन्तन प्रारम्भ हुआ और प्रयोग प्रारम्भ हो गये। इसी चिन्तन एवं प्रयोगों के फलस्वरूप भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात् शिशु शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) के साथ–साथ सद्‌संस्कार विकसित करने के उद्‌देश्यों से उत्तर प्रदेश में प्रथम सरस्वती शिशु मन्दिर का प्रारम्भ सन् 1952 में पक्की बाग, गोरखपुर में हुआ। इसे सरस्वती शिशु मन्दिर योजना के नाम से जाना गया। वह आरम्भिक काल था। तब से अब तक इन विद्यालयों की विकास यात्रा एक अद्‌भुत कहानी लगती है। सरस्वती शिशु मन्दिर की अभिनव शिक्षण पद्धति ने अल्प अवधि में ही समाज में इतना आकर्षण एवं प्रभाव उत्पन्न कर दिया कि आज इस पद्धति पर चलने वाले सहस्त्रों सरस्वती शिशु मन्दिर, सम्पूर्ण भारत वर्ष के प्रत्येक प्रदेश में स्थापित हैं। बाल शिक्षा जगत् में सरस्वती शिशु मन्दिर शिक्षण पद्धति को प्रतिष्ठा प्राप्त है।

अतः विद्या भारती द्वारा संचालित प्राथमिक स्तर के सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की समग्र शिक्षा प्रणाली को शोध अध्ययन का आधार बनाया गया है। ये विद्यालय प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में किस प्रकार कृत संकल्पित

हैं, इनकी इस दिशा में भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए समग्र रूप से इसकी शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न आयामों का शोध परक दृष्टि से अध्ययन किया जायेगा ताकियह सुनिश्चित हो सके कि ग्वालियर संभाग में स्थापित सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की भूमिका कितनी सार्थक एवं उपयोगी है।

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन एवं विकास में केवल सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की भूमिका को प्रतिपादित करेगा अपितु इसकी समकालीन प्रासंगिकता और उपादेयता को भी सिद्ध करने का प्रयास करेगा।

(3) A Brief rewiew of the work already done

उपर्युक्त संदर्भित क्षेत्र पर अग्रवाल (2007), सत्येन्द्र (2005), सीताराम (1983), लज्जाराम (1979), शिवदत्त (2008), विष्णु प्रकाश (1988), वाजपेयी (2000), भटनागर एवं अग्रवाल (1999), मित्तल (1982), आत्मानन्द (1977), वर्मा (1980), इन्द्रविद्या (1969), अशोक (1984), पी.सी. एवं कमलेश (1987), राणाप्रताप (1993), सम्पत (2002) आदि ने प्राथमिक शिक्षा एवं सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों तथा विद्याभारती पर विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पादित किये है तथा उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं सुझाव भी प्राप्त हुए है परन्तु अभी तक मध्य प्रदेश के ग्वाालियर संभाग में स्थापित प्राथमिक स्तर के सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों पर भी कोई शोध कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन शोधकर्ता का इस दिशा में प्रथम प्रयास एवं मौलिक कार्य होगा।

अध्ययन के उद्देश्य (Aims/Objectives) :-

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

(1) स्वातंत्र्योत्तर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास का विवेचन करना।

(2) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य एवं सम्प्रत्यात्मक(3) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

(4) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की मानवीय सुविधाओं का अध्ययन करना।

(5) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों के शैक्षिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना।

(6) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों के शिक्षणेतर क्रिया कलापों का अध्ययन करना।

(7) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन में सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों व आचार्यों की भूमिका का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना (उपकल्पना) (Hypothesis) :-

परिकल्पना शब्द का शाब्दिक अर्थ पूर्व–चिन्तन है। परिकल्पना के बिना या परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव नहीं है। परिकल्पना की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक अध्ययन उद्देश्यहीन हो जाता है। लुन्डबर्ग (Lundberg, 1957) और यंग (P.V. Young, 1966) ने अस्थायी परिकल्पना निर्माण (Formalating a working hypothesis) को वैज्ञानिक विधि का एक आवश्यक पद माना है। वैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पना का बहुत महत्व है क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पना की जांच के लिए ही आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, फिर आंकड़ों के आधार पर परिकल्पना की जाँच कर समस्या के सम्बन्ध में निष्कर्ष या परिणाम ज्ञात किये जाते हैं। टाउनसैण्ड (1953) ने लिखा है कि, "सभी अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक आविष्कार को अपना लक्ष्य बनाते है। अतः इनकी परिकल्पनाऐं सत्य की प्राप्ति के लिए फैली हुई भुजाओं की तरह है।

परिकल्पना की परिभाषा:–

गुड और हैट (1952) के अनुसार, "परिकल्पना यह बताती है कि हमें क्या खोज करनी है। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्क पूर्ण वाक्य होता है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी सिद्ध हो सकती है।"

टाउन्सेण्ड (1953) के अनुसार, "समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्तावित हल के रूप में परिकल्पना को परिभाषित किया जा सकता है।

मैक्गुइगन (1969) के अनुसार, "परिकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन है जो दो या दो से अधिक चरो के शक्तिशाली सम्बन्ध के सम्बन्ध में होता है।"

करलिंगर (1978) के अनुसार "परिकल्पना वह कल्पनात्मक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के सम्बन्ध में होता है।"

<u>परिकल्पना की विशेषताऐं:–</u>

(1) परीक्षण योग्य कथन (Testable statement)) अनुसन्धानकर्ता को अपने अनुसन्धान में ऐसी परिकल्पना बनानी चाहिए जिसकी परीक्षा की जा सके अर्थात जिस उपकल्पना की जाँच की जा सके कि उपकल्पना सत्य है अथवा असत्य। परीक्षण योग्य उपकल्पना की उत्तम होती है।

(2) परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तम हो (A hypothesis must be an adequate answer to the problem)- अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक अनुसन्धान में समस्या के सम्बन्ध में एक या अनेक उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। वैज्ञानिक अनुसन्धाकर्ता ऐसी उपकल्पना या उपकल्पनाओं का निर्माण करता है जिनके द्वारा उसे समस्या का पर्याप्त और स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है।

(3) तर्कसंगत सरलता (Logical simplicity)- परिकल्पना में तर्क सरलता होनी चाहिए। इसका अभिप्राय: यह है कि समस्या कथन और उसके आधार पर बनाई गई परिकल्पना में एक सरल तार्किक सम्बन्ध होना चाहिए। दूसरे शब्दों अनुसन्धानकर्ता को चाहिये कि समस्या कथन से सम्बन्धित परिकल्पना या परिकल्पनाओं का निर्माण इस तर्कपूर्ण ढंग से करना चाहिये कि निरीक्षण मात्र

से ही लगे कि परिकल्पना या परिकल्पनाएँ समस्या कथन का ही अंग है और उससे तर्कपूर्ण ढंग से सम्बन्धित है।

(4) अल्पव्ययी परिकल्पना (Parasimonious Hypothesis)- अनुसन्धानकर्ता को समस्या के संबंध में अल्पव्ययी परिकल्पना बनानी चाहिये। अल्पव्ययी परिकल्पना में अनुसन्धाकर्ता को कम से कम बातों पर ध्यान रखना चाहिये– अल्प व्यय (Less cost), अल्प समय (Less time), अल्प साधन (Less resourse)। अनुसन्धानकर्ता जब इन तीन दृष्टियों में अल्प व्ययी परिकल्पना का निर्माण करता है तब उसे ऐसी परिकल्पना या परिकल्पनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सुविधा होती है।

(5) मात्रात्मक मापन योग्य होनी चाहिए (Should be susceptible to quantitive mesurement)- वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताओं का ऐसी परिकल्पना या परिकल्पनाऐं बनानी चाहिए जिनके सम्बन्ध में मात्रात्मक आँकड़ों का संग्रह सम्भव हो अथवा जिनकी जाँच मात्रात्मक आँकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषणों के आधार पर परिकल्पना सत्य है या असत्य इसकी जाँच सरलता से की जा सकती है।

(6) परिकल्पना द्वारा अधिक संख्या में निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण होना चाहिए (A hypothesis should yield a large number of cousequences)- एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन करते हुए मैक्गुइगन (1969) ने लिखा है कि परिकल्पना का स्वरूप इतना व्यापक होना चाहिए जिससे कि परिकल्पना से अधिक से अधिक निष्कर्षों को निकाला जाना

सम्भव हो। मैक्गुइगन के अनुसार वैज्ञानिक अनुसन्धान में ऐसी परिकल्पना श्रेष्ठ मानी जाती है जिनके अध्ययन से अनेकों निगमात्मक निष्कर्ष (Deduction conclusion) प्राप्त होते हैं।

परिकल्पना के प्रकार

परिकल्पना के प्रकार अलग–अलग मनौवैज्ञानिकों ने अलग–अलग ढंग से बताये है। सामान्यतः किसी भी वैज्ञानिक अनुसन्धान में चाहे वह मनोविज्ञान में हो, समाजशास्त्र में अथवा किसी अन्य सामाजिक विज्ञान में हो, दो की परिकल्पनाएँ सभी सामाजिक विज्ञान के अध्ययनों में अध्ययन के समय उपयोग में लायी जाती है यह दो प्रकार है–

(1) अप्रायोगिक परिकल्पनाएँ (Non-experimental hypothesis)

(2) प्रायोगिक परिकल्पनाएँ (Experimental hypothesis)

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएंः–

(1) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्तमान परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के विकास की दृष्टि से प्रासंगिक है।

(2) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों का सम्प्रत्यात्मक (वर्तमान) स्वरूप प्राथमिक शिक्षा के विकास की दृष्टि से प्रासंगिक है।

(3) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की भौतिक सुविधायें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन की दृष्टि से सार्थक एवं प्रभावी है।

(4) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की मानवीय सुविधायें प्राथमिक शिक्षा केविकास की दृष्टि से उचित एवं प्रभावी हैं।

(5) सरस्वती शिशु मन्दिरों के शैक्षिक क्रियाकलाप प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास की दृष्टि से उचित हैं।

(6) सरस्वती शिशु मन्दिरों के शिक्षणेतर क्रियालाप प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास

की दृष्टि से सार्थक एवं प्रभावी हैं।

(7) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन में सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं आचार्यों की भूमिका अच्छी है।

शोध विधियाँ (Research Methods) :-

शोधकर्ता को अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी विधि को अपनाना पड़ता है। शोध समस्या की प्रकृति के अनुसार ही शोध विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए अर्थात् अध्ययन विधि का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या का स्वरूप क्या है ? विद्वानों ने अनेकों शोध विधियों की खोज की है, जिनमें निम्नतः तीन विधियाँ प्रमुख है–

1. प्रयोगात्मक शोध विधि
2. ऐतिहासिक शोध विधि
3. विवरणात्मक या सर्वेक्षण शोधविधि

शोधार्थी अपने इस शोध में ऐतिहासिक शोध विधि तथा विवरणात्मक या सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग करेगा। अतः इन दोनों विधियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है–

ऐतिहासिक शोध विधि

" इस विधि में ऐतिहासिक महत्व के तथ्यों को ढूंढकर उनका वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके उनकी व्याख्या और आलोचना के आधार पर कुछ मान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि अतीत के इतिहास का किसी विशेष दृष्टिकोण में अध्ययन करती है और संग्रहीत सामग्री की व्याख्या और विवेचना करके सम्बद्ध तर्क संगत निष्कर्षों तक पहुंचाती है। इतिहास ज्ञान के क्षेत्र में अतीत की घटनाओं का एकीकृत वर्णन है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक साधनों के आधार पर उसकी प्रमुख घटनाओं और उन्नत घटनाओं और उन्नत क्रम का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन से वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने के लिए अतीत के अनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है।

ऐतिहासिक विधि में शोध करने वाले के सामने यह कठिनाई होती है कि उसके पास प्रथम दृष्ट सूचनाएं नहीं होती है। अर्थात् घटनाएं भूतकाल में घट चुकी हुई होती हैं उनका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। मूल लेखों के अन्दर झाँक कर नहीं देखा जा सकता। अतः उसको उपलब्ध सामग्री पर ही विश्वास करना पड़ता है। अतीत की घटनाओं के सम्बन्ध में वह कुछ कर नहीं सकता भले ही उपलब्ध आंकड़े कम विश्वसनीय क्यों न हों उसे उन्हीं पर आश्रित होकर अपना शोधकार्य पूरा करना पड़ता है।

सर्वेक्षण विधि–

सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए सर्वेक्षण समस्या सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन का एक महत्वपूर्ण साधन व उपकरण है। समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सरकार, उद्योगपति तथा राजनैतिक सभी सर्वेक्षण करते हैं। वे वर्तमान क्रिया कीसार्थकता सिद्ध करने तथा वर्तमान क्रिया सुधार करने के लिए वर्तमान दशा से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करते हैं। सर्वेक्षण सम्बन्धी अध्ययन का क्षेत्र व उसकी गहराई समस्या की प्रकृति पर निर्भर होगी। उसके अनुरूप सर्वेक्षण विस्तृत अथवा संक्षिप्त हो सकता है। इसके अन्तर्गत अनेक देशों अथवा एक देश धर्म, शहर अथवा किसी इकाई के ही हो सकते हैं। किसी विशेष पक्ष के विषय में आंकड़े प्राप्त करेंगे या उनके पक्षों के विषय में यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। "सर्वेक्षण का मूल अर्थ ही ऊपर से देखना या अवलोकन अथवा अन्वेषण होता है।" शब्द कोष के अनुसार भी सर्वेक्षण का अर्थ एक प्रायः सरकारी आलोचनात्मक निरीक्षण होता है जिसका उद्देश्य एक क्षेत्र की किसी एक स्थिति अथवा उसके प्रचलन के सम्बन्ध में यथार्थ सूचना प्रदान करना होता है।"

" इस प्रस्तुत अध्ययन में एतिहासिक विवरणात्मक विधि के साथ–साथ **(Survey Method)** सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया जायेगा।

समाजिक सर्वेक्षण के गुण या उपयोगिता

(Merit and Importance of Social Survey) :-

समाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसन्धान की एक प्रचलित है। इसकी उपयोगिता या महत्व निम्न प्रकार से है–

(1) **वैज्ञानिक शुद्धता (Scientific accurarcy)-** सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है। सूचना और तथ्यों के संग्रह के लिये वैज्ञानिक उपकरणों और साधनों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक नियमों का ही सहारा लिया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। इन आधारों पर किये गये सामाजिक सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष और परिणामों में वैज्ञानिक शुद्धता पायी जाती है।

(2) **उपकल्पना निर्माण में सहायक (Helpful in fourmulation in hypothesis)-** सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा जो सूचना, आंकड़े या जानकारी प्राप्त होती है। उसके आधार पर एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन और समस्याओं का अच्छाखासा ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान के आधार परर अध्ययनकर्ता और सर्वेक्षणकर्ता उच्च स्तरीय अध्ययनों के लिए एक या अनेक उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है।

(3) **विश्वसनीय और वैध परिणाम (Reliable and valid result)-** सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता स्वयं या उसकी टीम के साथ मिलकर अध्ययन इकाइयों से सम्पर्क करता है और अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से वैज्ञानिक ढ़ंग से सूचना और आंकड़ों का एकत्र करता है। वह जनजीवन से

सम्बन्धित समस्याओं को न केवल आँखों से देखता है बल्कि कानों से सुनना है तथा अध्ययन इकाइयों से पूछताछ भी करता है। इस प्रकार किये गये अध्ययन से प्राप्त परिणाम न केवल विश्वसनीय होते हैं बल्कि वैध भी होते है।

(4) वस्तुनिष्ठ अध्ययन (Objective study)- सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता जब अध्ययन इकाइयों से सूचना तथ्यों या आंकड़ों का संग्रेह करता है तो वह यह सब तटस्थ होकर करता है। आंकड़ों, तथ्यों और सूचनाओं के संकलन के समय वह यह प्रयास करता है कि तथ्यों और आंकड़ों के संकलन पर उसके व्यक्तिगत पक्षपातों, व्यक्तिगत विचारधाराओं और अभिवृत्तियों का प्रभाव न पड़े। जिससे सामाजिक सर्वेक्षण सम्बन्धी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहे।

(5) सामाजिक पुनर्निर्माण (Social reconsuctrion)- – सामाजिक सर्वेक्षण की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और कारणों का ज्ञान तो होता ही है साथ साथ समस्या समाधान हेतु अनेक उपयोगी सुझाव भी अध्ययन इकाइयों से ज्ञात हो जाते है जिससे सामाजिक समस्याओं को कम या दूर करने में तो सहायता मिलती ही है साथ साथ ज्ञान के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण भी सम्भव हो जाता है। महामारी, बाढ और भूकम्प जैसी विपदाओं से ग्रस्त लोगों की स्थिति का वास्तविक चित्रण सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा न केवल शुद्ध ढंग से किया जा सकता है बल्कि इनसे ग्रस्त लोगों के पुनर्वास के लिये योजना भी बनायी जा सकती है।

(6) सरल विधि (Simple method)- – सामाजिक अनुसन्धान की जितनी भी अध्ययन विधियाँ हैं उनसे सामाजिक सर्वेक्षण एक अति सरल विधि है। इस विधि से अध्ययनकर्त्ता के लिये किसी भी विशेष प्रशिक्षण या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी सी जानकारी के बाद कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस विधि के द्वारा अध्ययन कर सकता है।

(8) सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन (Study of social structure and social institution)– सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संरचना से सम्बन्धित समस्याओं की तात्कालिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परिवार, विवाह, धर्म कानून, व्यवस्था, रीति–रिवाज, परम्पराओं और प्रथाओं आदि के बारे में प्राथमिक और विस्तृत जानकारी सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा सरलता से ज्ञात की जा सकती है।

(9) मूल्यांकन सम्बन्धी महत्व (Evaluative importance)– समय–सयम पर सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएँ चलाकर सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया जाता है। सरकार के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने के लिये या विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तात्कालिक जानकारी या इनका मूल्यांकन सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही प्राप्त होता है।

सर्वेक्षण के प्रमुख प्रकार

(Major Types of Social Survey)

सामाजिक सर्वेक्षणों के प्रकार के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों ने अपने–अपने ढ़ंग से सामाजिक सर्वेक्षणों के प्रकार बतलाये हैं। यदि इन सभी प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षणों की सूची तैयार की जाये तो सामाजिक सर्वेक्षणों की संख्या पचास हजार से ऊपर हो जायेगी। इनमें से अधिकांश सामाजिक सर्वेक्षणों के प्रकार आज अधिका उपयोगी नहीं रह गये हैं। जो सामाजिक सर्वेक्षण आधुनिक युग में लोकप्रिय और प्रचलित हैं उनमें से कुछ प्रमुख सामाजिक सर्वेक्षणों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है–

(1) जनगणना सर्वेक्षण (Census survey)– जनगणना सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसमें सर्वेक्षण सम्बन्धी समस्या का अध्ययन जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से सम्पर्क करके किया जाता है। इसमें सम्पूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श चुनकर अध्ययन करने के स्थान पर जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से सूचना इकत्र कर अध्ययन परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण में धन, समय ही अधिक नहीं लगता है बल्की अधिक संख्या में सर्वेक्षकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार के सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दसवें वर्ष कराया जाता है।

(2) प्रतिदर्श सर्वेक्षण (Sample survey)– प्रतिदर्श सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई का अध्ययन न करके जनसंख्या से पहले एक प्रतिदर्श चुना जाता है और चुने प्रतिदर्श की जनसंख्या का प्रतिनिधि

मानकर अध्ययन किया जाता है। प्रतिदर्श की प्रत्येक इकाई से ही सर्वेक्षण समस्या के सम्बन्ध में तथ्य सूचनाएँ या आँकड़े एकत्र किये जाते है। प्रतिदर्श के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के लिये माना जाता है कि यह उस जनसंख्या के लिये सही है जिससे यह प्रतिदर्श चुना गया है।

(3) नियमित और कार्यवाहक सर्वेक्षण (Regular and ad-hoc survey)– जब कोई संस्था या सरकारी विभाग किसी अध्ययन समस्या पर नियमित रूप से सर्वेक्षण का कार्य करता है तो इसे नियमित सर्वेक्षण कहते है। इसी प्रकार जब किसी तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अस्थायी सर्वेक्षण किया जाता है या तात्कालिक सर्वेक्षण किया जाता है तो इसे कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते है।

(4) गुणात्मक तथा मात्रात्मक सर्वेक्षण (Qualitive and Quantitative Survey)- जनमत, पक्षपात, विवाह विच्छेद और बेरोजगारी अच्छाई– बुराई आदि सम्बन्ध सर्वेक्षण करता है और सर्वेक्षण से सम्बन्धित ऑकड़े संख्यात्मक नहीं होते हैं तो इस प्रकार के सर्वेक्षण को गुणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। जबकि दूसरी ओर किसी सर्वेक्षण के ऑकड़े या तथ्य या विवरण जब संख्यात्मक रूप में या सांख्यिकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे सर्वेक्षण को मात्रात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए साक्षरता का प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय और स्त्री–पुरूषों के अनुपात में किया गया सर्वेक्षण संख्यात्मक होगा और इस प्रकार का सर्वेक्षण मात्रात्मक सर्वेक्षण कहलायेगा।

(5) सार्वजनिक और गुप्त सर्वेक्षण (Public and Secret Survey)- सार्वजनिक सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जिस सर्वेक्षण की जानकारी जनता को होती है अथवा यह वह सर्वेक्षण है जिसकी रिपोर्ट को सूचनार्थ जनता के लिये प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय बचत योजनाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण सार्वजनकि सर्वेक्षण की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर जब किसी सामाजिक सर्वेक्षण के तथ्यों को जनता से छुपाया जाता है या जनता की सूचनार्थ प्रकाशित नहीं किया जाता हैं तो ऐसे सर्वेक्षण को गुप्त सर्वेक्षण कहते हैं।

(6) उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षणों के प्रकार– इस वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के सर्वेक्षण आते हैं–

(क) विवरणात्मक सर्वेक्षण (Descriptive Survey)- विवरणात्मक सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जिनमें अनुसन्धानकर्त्ता का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना, सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवहार या सामाजिक समस्या के सम्बन्ध में विवरण या विवरणात्मक विश्लेषण करना होता है।

(ख) व्याख्यात्मक सर्वेक्षण (Explanatory Survey)- यह वह सर्वेक्षण है जो किसी सामाजिक घटना, सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवहार या सामाजिक समस्या में कार्य कारण सम्बन्धों का पता लगाने के लिए किया जाता है अथवा अन्तर्निहित कारकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है।

(ग) मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण (Evaluative Survey)- इस प्रकार के सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना, सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवहार या सामाजिक समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन

किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही सुधार या परिमार्जन की योजना बनाई जाती है।

(घ) पूर्वकथन सर्वेक्षण (Pridiction Survey)- इस प्रकार का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसका उद्देश्य समस्या का अध्ययन कर समस्या के सम्बन्ध में अनुमान के आधार पर पूर्व कथन करना होता है। उदाहरण के लिये चुनाव प्रचार से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन करके यह पूर्व कथन करना कि किसकी विजय होगी, पूर्व कथन सर्वेक्षण कहलायेगा।

जनसंख्या एवं न्यायदर्श (Popualation & Sampling) :-

जनसंख्या (Population)

खोज या अनुसन्धान (Investigation) **क्षेत्र की सम्पूर्ण इकाईयां सामूहिक रूप से जनसंख्या कहलाती है।** सम्भावित अवलोकनों के सम्पूर्ण समूह को, जिसका अनुसन्धान किया जा रहा है, समग्र कहा जाता है। **ए.सी. रोसेण्डर (A.C. Rosander)** के अनुसार, "एक समग्र विचाराधीन विषय–इकाइयों की सम्पूर्णता है।" संक्षेप में, अनुसन्धान इकाई की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले समस्त पदों का समूह समग्र कहलाता है। उदाहरण के लिए, गोपी वनस्पति मिल्स, अलीगढ़ के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करना है, तो इस मिल के सभीश्रमिक सम्बन्धित सर्वेक्षण के समग्र होंगे। समग्र की इकाइयां व्यक्तिगत रूप से 'इकाई' (Unit) अथवा 'अवयव' (element) कही जाती है।

जनसंख्या के प्रकार

जनंसख्या दो प्रकार का होता है।

(1) जनसंख्या के आधार पर (ब) अस्तित्व के आधार पर

1. निश्चित 2. अनन्त 1. वास्तविक 2. काल्पनिक

(1) निश्चित अथवा अनन्त (Finite or Infinite) समग्र– निश्चित या परिमित समग्र में इकाइयों की संख्या निश्चित होती है; जैसे, किसी कॉलेज के छात्र या मिल के श्रमिक। अनन्त या परिमित समग्र में इकाइयों की संख्या अनन्त होती है; जैसे, नवजात शिशुओं के भार अथवा स्वास्थ्य के विषय में अनुसन्धान करते समय समग्र अनन्त होगा क्योंकि शिशुओं का जन्म तो होता ही रहेगा। यदि इकाइयों की संख्या ज्ञात न की जा सके अथवा सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई सीमांकन न हो सके तो भी समग्र अनन्त ही होता है; जैसे आकाश में तारागण, एक वृक्ष की पत्तियां अथवा टी.वी. के एक सिरियल को देखने वाले दर्शक, आदि।

(2) वास्तविक अथवा काल्पनिक (Real or Hypothesis) समग्र– ठोस विषय वाले समग्र को वास्तविक अथवा विद्यमान समग्र कहते है; जैसे, विश्वविद्यालय के छात्र, मिल के श्रमिक आदि। काल्पनिक अथवा सैद्धान्तिक समग्र में विषय–सामग्री ठोस नहीं होती है, बल्कि काल्पनिक होती है: जैसे, सिक्कों की उछाल के आधार पर चित–पट के गिरने की संख्या से बना समग्र।

न्यादर्श (Sampling)

जब सम्पूर्ण समग्र में से किसी विशिष्ट आधार पर थोड़ा–सा भाग जांच के लिए लिया जाता है तो उसे नमूना, बानगी, प्रतिनिधि अंश अथवा न्यादर्श कहते हैं। समग्र की प्रत्येक इकाई का निदर्शन इकाई कहते है तथा चुनी हुई इकाई विशेष अथवा इकाइयों को न्यादर्श कहा जाता है। **जी. डब्ल्यू. स्नेडेकोर एवं डब्ल्यू. जी. कोचरन** के अनुसार, "एक न्यादर्श किसी बड़े समूह, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते है, में से लिया गया छोटा संकलन होता है।" न्यादर्श का अवलोकन (obsrvation) करके सम्पूर्ण समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

अनुसन्धान के अन्तर्ग समग्र के विषय में जानकारी दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है:

1. संगणना रीति (Census Method)
2. निदर्शन रीति (Sampling Method)

संगणना (Census Investigation)

जब अनुसन्धान के विषय में सम्बन्धित समग्र या समग्र (Universe or population) की प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण किया जाता है तो वह समग्र या संगणना अनुसन्धान कहलाता है। इस रीति के अनुसार अनुसन्धान करते समय अनुसन्धान करने वाला समूह की जांच करता है और अनुसन्धान से सम्बन्धित प्रत्येक इकाई के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करता है। जैसे, उत्पादन गणना (census of production) आयात–निर्यात गणना (census of imports and

exports), जनगणना (census of population), किसी नगर के मध्यम श्रेणी के सारेपरिवारों के आय–व्यय की जांच करना, आदि। इस प्रकार का अनुसन्धान सबसे पहले ली–प्ले (Le-Play) द्वारा कई वर्षों तक मजदूर परिवारों के बीच रहकर उनके रहन–सहन की दशाओं के बारे में किया गया था।

निदर्शन (प्रतिचयन) अनुसन्धान

(Sampling Ivestigation)

किसी समग्र में से चयनित उसका प्रतिनिधित्व करने वाला इकाइयों का एक समूह न्यादर्श या प्रतिदर्श कहा जाता है। न्यादर्श लेने की क्रिया (to take sample) को निदर्शन या प्रतिचयन (Sampling) कहा जाता है। जब समस्त समग्र की जांच न करके इसमें से किसी विशिष्ट आधार पर न्यादर्श (Sample) के रूप में थोड़ा–सा भाग जांच के लिए लिया जाता है, तो उसे निदर्शन अनुसन्धान (Sampling Investigation) या न्यादर्श अनुसन्धान (Sample Investigation) कहते है। जैसे, एक नगर के मध्यम श्रेणी के केवल 5,000 व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करने के लिए यदि हम उस नगर के मध्यम श्रेणी के केवल 500 लोगों की औसत आय निर्धारित करें तो इस प्रकार का अनुसन्धान निदर्शन रीति का अनुसन्धान कहलायेगा।

निदर्शन अनुसन्धान प्रणाली (Merit/Advantages)

(1) **सरल एवं कम खर्चीली–** यह रीति सरल तथा कम खर्चीली है। इसको अपनाने पर समय, धन, श्रम की बचत होती है।

(2) **सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के लिए उपयुक्त–** चूंकि इस रीति में समय कम लगता है इसलिए शीघ्रता से बदलती हुई सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से सम्बन्धित अनुसन्धानों के लिए यह प्रणाली बहुत उपयुक्त है।

(3) **फल प्रायः वही–** यदि बुद्धिमानी से न्यादर्श का चयन किया जाय तो परिणाम लगभग वही होगा जो समग्र अनुसन्धान में होता है।

(4) **वैज्ञानिक–** यह रीति अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि उपलब्ध समंकों की दूसरे न्यादर्शों द्वारा जांच की जा सकती है।

(5) **जांच विस्तृत–** चूंकि चुनी हुई सामग्री बहुत होती है, अतः उसकी जांच विस्तृत रूप से की जा सकती है।

न्यादर्श या निदर्शन के उद्देश्य

(Objects of Sample or Sampling)

निदर्शन अध्ययन का यह प्रमुख उद्देश्य है कि कम–से–कम समय में, कम परिश्रम से तथा न्यूनतम व्यय से समग्र की विशेषताओं का पता लगाया जा सके। निदर्शन द्वारा पूरे समग्र के बारे में अधिक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। वैदर बर्न (Weather burn) के अनुसार, "निदर्शन सिद्धान्त का सम्बन्ध प्रथम, न्यादर्शों की सहायता से समग्र के लक्षणों का अनुमान लगाने तथा दूसरे, अनुमान की सूक्ष्मता का मूल्यांकन करने से है।

निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निदर्शन अनुसन्धान किये जा सकते है:

1. **संगणना अनुसन्धान की सत्यता की जांच**– संगणना अनुसन्धान विधि से प्राप्त परिणामों की सत्यता की जांच की जाती है। जनगणना परिणामों की सत्यता जांचने के लिए जनगणना के बाद में निदर्शन सर्वेक्षण किये जाते हैं।
2. **समग्र के प्राचलों (Parameters)-** न्यादर्श के सांख्यिकी मापों, जैसे, माध्य, प्रमाप विचलन, सहसम्बन्ध, आदि के आधार पर समग्र के मापों को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार निदर्शन अध्ययन का उद्देश्य प्राचलों के सर्वसम्भाव्य मानों को प्राप्त करना भी है। समग्र के माप प्राचल (Parameters) कहते हैं, जबकि न्यादर्श के माप सांख्यिकीय अथवा प्रतिदर्शज (Statistic) कहे जाते हैं।

निदर्शन की रीतियाँ या विधियाँ

(Methods of Sampling)

न्यादर्श लेने की प्रक्रिया को निदर्शन कहा जाता है। न्यादर्श का नाम उसके चयन करने की रीति के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि न्यादर्श दैव विधि (Random sampling method) कहा जाता है।

न्यादर्श लेने की विधि या रीति अन्वेषण के उद्देश्य पर निर्भर करती है। न्यादर्श चुनने की कई रीतियाँ है। इनमें से निम्नलिखित प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है :

1. सविचार निदर्शन (Deliberate, purposive, conscious or representative sampling) अथवा गैर प्रायिकता निदर्शन (Non-protability Sampling)

2. दैव अथवा आकस्मिक अथवा यादृच्छिक निदर्शन अथवा वस्तुनिष्ठ निदर्शन (Random or chance Sampling or objective sampling) अथवा प्रायिकता निदर्शन (Probalitiy Sampling)

3. मिश्रित निदर्शन (Mixed Sampling)

न्यादर्श रीतियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार भी किया जाता है:

निदर्शन

यादृच्छिक निदर्शन (प्रायकिता निदर्शन)	गैर–यादृच्छिक निदर्शन (गैर–प्रायकिता निदर्शन)
1. सरल यादृच्छिक निदर्शन	1. सविचार निदर्शन
2. स्तरित यादृच्छिक निदर्शन	2. अभ्यंश निदर्शन
3. व्यवस्थित निदर्शन	3. सुविधा निदर्शन
4. बहुस्तरीय निदर्शन	4. विस्तृत निदर्शन
5. समूह निदर्शन	

दैव अथवा आकस्मिक अथवा यादृच्छिक निदर्शन

(Random or Change Smapling)

न्यादर्श चयन की वह विधि जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है, दैव निदर्शन कहलाती है।

दैव निदर्शन में इकाइयों का चयन अवसर के नियमों (Laws of chance) पर आधारित होता है जिसके लिए यह आवश्यक है कि न्यादर्श की व्यक्तिगत इकाइयों का चुनाव अनुसन्धाकर्ता के पक्षपात से पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा ही करके न्यादर्श में सक्षमता व सत्यता लायी जा सकती है।

दैव निदर्शन रीति से न्यादर्श लेने के निम्न ढ़ंग है:

(क) लॉटरी विधि (Lottery System)- इस रीति में सभी पदो के लिए अलग–अलग संख्या का चिन्ह निश्चित कर लेते हैं और सबको एक साथ किसी ढ़ोल या डिब्बे में रखकर उसे हाथ से या किसी अन्य यन्त्र से घुमा देते हैं और फिर उसमें से कुछ बिना सोचे–विचारे उठा लेते हैं। जिन पदों को यह संख्याएं या चिन्ह प्रकट करते हैं उन्हें न्यादर्श में शामिल कर लिया जाता है। आज के युग में विकसित इलेक्ट्रॉनिक रीतियों द्वारा लॉटरी विधि और अधिक वैज्ञानिक व प्रभावशील हो गयी है जिसमें पक्षपात की कतई गुंजाइश नहीं होती।

(ख) आंख बन्द करके चुनना (Blinde Selection)- इस रीति में चुनने वाला पदों की चिन्हित पर्चियों में से आंख बन्द करके कुछ को उठा लेता है और वे ही न्यादर्श में शामिल किये जाते हैं। यह रीति कहीं–कहीं दूसरे ढ़ंग से

काम में लायी जाती है। किसी दीवार या खम्भे पर एक बड़ा वृत्ताकार या चौकोर मानचित्र लटका दिया जाता है। उसमें बराबर आकार व समान रूप से उतने खाने बने होते हैं जितनी पदों की संख्या होती है। एक खाना बिना किसी क्रम के पद का प्रतीक होता है। चुनने वाला आंख पर पट्टे बांधकर उस मानचित्र पर उतनी बार तीर छोड़ता है जितने पद न्यादर्श में शामिल करने होते हैं। तीर जिन खानों पर लगता है उन्हें न्यादर्श में शामिल कर लिया जाता है।

(ग) पदों की किसी रीति से सजाकर (Arrangement Of Items in Some Order)- इस रीति में पहले पदों की किसी ढ़ंग से, उदाहरणार्थ भौगोलिक, वर्णनात्मक (Alphabetical) या संख्यात्मक ढ़ंग से सजा लेते हैं और उनमें से आकस्मिक ढ़ंग से कुछ पदों को चुन लेते हैं। इसे नियमानुसार दैव निदर्शन (Systematic random sampling) भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुल 105 इकाइयों में से 15 इकाइयों को चुनना है, तो नियमानुसा ढ़ंग से 15 समूह बना लिए जायेंगे। प्रत्येक समूह में सात–सात इकाइयां होंगी। अब प्रत्येक समूह में से दैव निदर्शन द्वारा एक–एक पद चुन लिया जायेगा।

(घ) ढ़ोल घुमाकर (By Rotating the Drum)- इस रीति में एक ढ़ोल में समान आकार के लकड़ी, लोहे या अन्य किसी धातु के गोल टुकड़े, जिन पर समग्र के विभिन्न पदो के लिए संख्या का चिन्ह अंकित कर लेते है, रखकर ढ़ोल को हाथ या बिजली से घुमाते हैं और फिर जितने पद न्यादर्श में लेने

होते हैं, उतने टुकड़े कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति निकाल लेता है। ये टुकड़े जिन पदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें न्यादर्श में शामिल कर लिया जाता है।

मिश्रित निदर्शन

(Mixed Smapling)

यह प्रणाली सविचार निदर्शन और दैव निदर्शन दोनों का समिश्रण है।

मिश्रित निदर्शन के गुण (Merits)-

इसी रीति में दोनों प्रमुख रीतियों (सविचार निदर्शन एवं दैव निदर्शन) के गुण आ जाते हैं। इस रीति में चुनाव अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि समग्र के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व (Representation) होता है। दैव निदर्शन में यद्यपि प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर रहता है परन्तु अवसर के कारण अनेक महत्वपूर्ण समूहों का प्रतिनिधित्व न्यादर्श में नहीं हो पाता। मिश्रित निदर्शन में ऐसा कोई महत्वपूर्ण समूह नहीं रह जाता जिसका प्रतिनिधित्व न्यादर्श में न हो।

मिश्रित निदर्शन के दोष (Demerits)

यदि सविचार विधि में त्रुटियां हो जाये तो इस प्रणाली द्वारा निकाले हुए फल सन्तोषजनक नहीं होते हैं।

अन्य निदर्शन विधियाँ

(Other Sampling Methods)

उपर्युक्त तीन प्रमुख रीतियों के अतिरिक्त निदर्शन की निम्नलिखित विधियां प्रचलित है :

(1) बहुस्तरीय निदर्शन य बहुचरणी निदर्शन (Multistage Sampling)- बहुस्तरीय निदर्शन विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब समग्र का विस्तार क्षेत्र में हो। इस विधि के अन्तर्गत प्रतिदर्श चयन करने का कार्य अनेक स्तरों से किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर प्रतिदर्श का चयन सविचार निदर्शन या दैव निदर्शन विधि के द्वारा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक स्तर पर दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसे बहुस्तरी दैव निदर्शन (Multistage random sampling) कहा जाता है।

प्रस्तुत शोध में मध्यप्रदेश के अन्तर्गत ग्वालियर संभाग के पांच जिलों में स्थापित सरस्वती शिशु मन्दिरों को अध्ययन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन (लाटरी पद्धति) द्वारा चयन किया जायेगा तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास में इनकी भूमिका का मूल्यांकन किया जायेगा।

उपकरण (Tools) :-

प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों के संग्रह हेतु साक्षात्कार एवं प्रश्नावली विधि (Ques. Method) का प्रयोग करके सम्बन्धित विद्यालयों से वांछित सूचनायें प्राप्त करके विश्लेषण किया जायेगा।

प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा:–

गुड और हॉट (1952) के अनुसार, " सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है।"

लुण्डबर्ग (1957) के अनुसार," मौलिक रूप से प्रश्नावली उद्दीपकों के अन्तर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।"

प्रश्नावली का निर्माण या रचना

प्रश्नावली का निर्माण अनेक चरणों में पूर्ण होता है। प्रश्नावली के निर्माण का वर्णन निम्न प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है।

(1) समस्या और प्रारम्भिक विचार

जब कोई अनुसन्धानकत्तार्त्ता किसी प्रश्नावली का निर्माण करना चाहता है तो वह सर्वप्रथम अध्ययन विषय या समस्या चुनता है। जिसका अध्ययन उसे प्रश्नावली द्वारा करना होता है। फिर वह अध्ययन समस्या का साहित्य सर्वेक्षण करता है और अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में वह अपने ज्ञान को विस्तृत करता है। इस ज्ञान के आधार पर वह निर्माण करता है कि समस्या का किन लोगों पर अध्ययन करना है और समस्या के किन पहलुओं का अध्ययन करना है। इस प्रकार वह अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं या पक्षों के बारे में जो

जानकारी प्राप्त करता है, उनके ही आधार पर विशेषज्ञों से परामर्श भी लेता है। जिसमें उसे प्रश्न बनाने में सुविधा होती है।

(2) समस्या का उपभागों में विभाजन

जब अनुसन्धानकर्त्ता समस्या का गहन अध्ययन कर लेता है तब उसे सभ्यता और उसके विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अपने इस ज्ञान के आधार पर वह समस्या को अनेक उपभागों में विभाजित करता है। जिससे कि समस्या के विभिन्न पहलुओं या उपभागों पर प्रश्न बनाये जा सकें। यहाँ यदि उपभाग बनाने में यदि कोई कठिनाई होती है तो अनुसन्धानकर्त्ता विशेषज्ञों से भी राय लेता है। समस्या को उपभागों में विभाजित करते समय अनसन्धानकर्त्ता यह भी निश्चित करता है कि प्रत्येक उपभग में प्रश्नों की संख्या क्या होगी ? कौन उपभाग अधिक महत्वपूर्ण है और कौन–सा उपभाग अधिक महत्वपूर्ण ह। किस उपभाग के प्रश्न पहले होंगे। और किन उपभागों के प्रश्न क्रमानुसार आगे होंगे।

यदि एक अनुसन्धानकर्ता 'भील जनजाति के पारिवारिक और सामाजिक जीवन' समस्या का अध्ययन करना चाहता है तो इन अनुसन्धान समस्या से सम्बन्धित उपभाग इस प्रकार से हो सकते हैं– (1) भील जनजाति के लोगों में दाम्पति सम्बन्ध, (2) घर के कामकाज सम्बन्धी परिवार के सदस्यों के कर्त्तव्य, (3) परिवार के बच्चों की देखभाल, (4) आयके साधन और व्यवसाय, (5) व्यतिव और व्यवहार, (6) पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्ध, (7) मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाएँ आदि।

(3) प्रश्न बनाना और प्रश्नों के प्रकार

अनुसन्धानकर्त्ता प्रश्नावली के प्रश्न स्वयं बना सकता है और प्रश्नावली के प्रश्नो की रचना विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके कर सकता है। प्रश्नावल

के प्रश्नों की रचना कोई भी अनुसन्धानकर्त्ता तब तक नही कर सकता है जब तक उसने अध्ययन समस्या का गहन अध्ययन न किया हो। प्रश्नावली में एक ही प्रकार के प्रश्न हो सकते है और अनेक प्रकार के भी प्रश्न भी हो सकते है। यह तो अनुसन्धान समस्या पर निर्भर करता है कि प्रश्नावली के कितने प्रकार के प्रश्न होगे प्रश्नावली के सम्बन्ध में प्रश्न बनाते समय अनुसन्धानकर्त्ता को चाहिये कि वह अध्ययन समस्या के सभी पक्षों को समान महत्व दे और यदि आवश्यक हो अथवा कोई पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो तो उस पर अधिक प्रश्न बनाने चाहिये।

अनुसन्धानकर्त्ता को अनुसन्धान समस्या के विभिन्न उपभागों के लिये वह जितनी सूचना चाहता है उन सभी सूचनाओं से सम्बन्धित उसे प्रश्न बनाने चाहिये। प्रश्न बनाते समय अनुसन्धानकर्त्ता को यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक न हो जाये कि उत्तरदाता प्रश्नावली को भरने में आनाकानी करे अथवा जब यह प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाये तो प्रश्नों की अधिक संख्या देखकर उत्तरदाता प्रश्नावली भरकर वापिस न भेजे। अतः यह निर्णय करना अनुसन्धानकर्त्ता का ही कार्य है कि प्रश्नावली में कितने प्रश्नों की संख्या उपयुक्त होगी। उसे प्रश्नों की संख्या कम भी रखनी चाहिये और समस्या के किसी महत्वपूर्ण पक्ष को छोड़ना भी नहीं चाहिये।

प्रश्न सरल भाषा में, स्पष्ट और गोधगम्य बनाने चाहिये। उनमें किसी प्रकार की क्लिष्टता, भ्रम, कल्पनात्मकता आदि नहीं होना चाहिये। प्रश्नों में निम्न गुण अवश्य होने चाहिये–(1) सही सूचना प्राप्त करने वाले प्रश्न होने चाहिये, (2) भाषा की दृष्टि से सरल और स्पष्ट होने चाहिये,(3) संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हाने चाहिये,(4) प्रश्न येसे होने चाहिये जिनक उत्तरों के आधार पर

वर्गीकरण, विश्लेषण आदि करना सरल हो,(5) गुप्त सूचना वाले, नाराज होने की सम्भावना वाल, बहुअर्थक, अस्पष्ट और निर्देशक नही होने चाहिये।

प्रश्नों की रचना के सम्बन्ध में (1) प्रश्नों के प्रकार (2) किन प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिये (3) किन प्रश्नों का बहिष्कार करना चाहिये, इन शीर्षकों का विस्तृत विवरण अनुसूची का निर्माण या रचना शीर्षक के अन्तर्गत अनुसूची अध्याय में वर्णन दिया हुआ है। वहॉ अनुसूची शब्द के स्थान पर प्रश्नावली शब्द का प्रयोग करे।

(4) प्रश्नों का सम्पादन

अनुसन्धान समस्या के विभिन्न उपभागों या पहलुओं पर जब उपयुक्त संख्या में प्रश्न बन जाते है तब अनुसन्धानकर्त्ता इन प्रश्नों को एक विशेष क्रम में रखता है। प्रश्नों का इस विशेष क्रम में समूहबद्व रूप ही प्रश्नावली का आन्तरिक रूप या आन्तरिक पक्ष है। जब इस तरह से प्रश्नावली का आन्तरिक रूप तैयार हो जाता है तो अनुसन्धानकर्त्ता प्रश्नों को अनेक प्रकार से चेक करता है या सम्पादन करता है। वह भाषा, सरलता, स्पष्टता और बोधगम्यता आदि की दृष्टि से प्रश्नों को चेक करता है। यदि इनमें से कुछ प्रश्न में नही होता है तो उसे वह सुधारता है। दूसरे वह यह चेक करता है कि सभी प्रश्न अनसन्धान समस्या और उसके उपभागों से सम्बन्धित है या नही। तीसरे वह यह चेक करता है कि प्रश्न में कुछ पूछा गया है उत्तरदाता उसे वही समझेगा अथवा वह प्रश्न को कुछ भिन्न प्रकार से समझेगा। इस कमी को चेक करना इसलिये आवश्यक है क्योकि प्रश्नावली को अधिकांशतः उत्तरदाता ही भरते है। उन्हे किसी प्रश्न का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर नहीं होता है। चौथे वह प्रश्नों को इस दृष्टि से भी चेक करता है कि प्रश्न यदि बड़े

हैं और यदि इन बड़े प्रश्नों को छोटा बनाया जा सकता है तो वह उसे छोटा बनाने का हर प्रयास करता है।

साक्षात्कार विधिः— Interview Method

साक्षात्कार एक अध्ययन विधि भी है और एक अध्ययन यन्त्र भी है जिसकी सहायता से महत्वपूर्ण आँकड़े एकत्र किये जाते हैं। अंग्रेजी का शब्द Interview दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात् Inter+view= Inter का अर्थ है अन्दर और view का अर्थ है देखना अतः अन्दर देखना ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाईयों के उन अनुभवों और विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते है।

साक्षात्कार की परिभाषा (Defination of Interview)

गुड और हॉट (1952) के अनुसार, "मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अन्तक्रिया की एक प्रक्रिया है।"

सिन पाओ यंग (1956) के अनुसार, "साक्षात्कार कार्य क्षेत्र की एक विशेष क्षेत्र की एक विशेष प्रविधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार के देखने, उनके कथनों को लिखने तथा सामाजिक या समूह अन्तःक्रिया के स्पष्ट परिणामों का अध्ययन करने के लिये किया जाता है।

साक्षात्कार की विशेषताएँ (Cheracterstics of Interview)

(1) क्रमबद्ध प्रविधि (Systematic technique) :— साक्षात्कार एक क्रमबद्ध प्रविधि जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता या अध्ययन इकाई से अपनी अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष, परोक्ष और आन्तरिक सूचनाएॅ प्राप्त करता है।

(2) दो या दो से अधिक व्यक्ति (Two or more person) :— साक्षात्कार में कम से कम दो लोग होते हैं, एक साक्षात्कारकर्त्तार्त्ता, जो

साक्षात्कार लेता है, दूसरा साक्षात्कारदाता, जो साक्षात्कार देता है अथवा जिससे सूचना प्राप्त की जाती है। किसी भी अनुसन्धान समस्या का अध्ययन करते समय साक्षात्कारकर्त्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं और उनकी टीम में दो या दो से अधिक सदस्य भी हो सकते है। इसी प्रकार साक्षात्कारदाता एक या एक से अधिक हो सकते है। साक्षात्कारदाता को सूचनादाता या अध्ययन इकाई भी कह सकते है।

(3) आमने सामने गोष्ठी (Face to Fase Conference) :– साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कारकर्त्ता और साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत के द्वारा साक्षात्कारकर्त्ता सूचनादाता से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता हैं और फिर बातचीत के द्वारा ही साक्षात्कारकर्त्ता कल्पनात्मक रूप से सूचनादाता के मन में प्रवेश कर जाता है तत्पश्चात् वह अपनी समस्या के सम्बन्ध में सूचनादाता से सूचनाएँ प्राप्त करता है।

(4) विशिष्ट उद्देश्य (Specific object) :– साक्षात्कार का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसन्धान समस्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना होता है।

(5) तथ्य संकलन (Date collection) :– साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कार की प्रगति के साथ–साथ ऑकड़ों या तथ्यों का संग्रह भी चलता रहता है। ऑकड़ों का यह संग्रह साक्षात्कारकर्त्ता स्वयं भी कर सकता है और यन्त्रों की सहायता से भी कर सकता हैं।

(6) अन्तर वैयक्तिक स्थिति (Inter-personal Situationn) :– साक्षात्कार में अन्तर वैयक्तिक स्थिति की विशेषता पायी जाती है। इसमें

साक्षात्कारकर्त्ता और सूचनादाता अपनी–अपनी भूमिकाएँ अलग–अलग चुपचाप नहीं करते हैं बल्कि यह अपनी अपनी भूमिकाएँ एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया–प्रतिक्रिया करते हुए करते है। साक्षात्कार इतना ही नही होता है कि साक्षात्कारकर्त्ता ने कुछ प्रश्न पूछे और उत्तरदाता ने उसके जवाब दे दिसे बल्कि यह एक ऐसी क्रमबद्व प्रविधि है जिसमें बातचीत के द्वारा साक्षात्कारकर्त्ता सूचनादाता से उसकी आन्तरिक बातें जानकर अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में तथ्यों का संकलन करता है।

सांख्यिकी (Statistics) :– सांख्यिकी गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है, पर उसका कार्यक्रम आज मात्र तक ही सीमित नहीं है, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग होता है।

सांख्यिकी की परिभाषा (Defination of Statistics) :– बाउले के अनुसार– सांख्यिकी गणना एवं माध्यों का विज्ञान है।

लॉविट के अनुसार– सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन का कार्य करता है।

केन्द्रीय प्रवृत्ति (Central Tendencies) :– बारम्बारता सारणी के सुव्यवस्थित आंकड़ों से की कोई निश्चित सूचना प्राप्त करना कठिन होता है। कभी–कभी जब भिन्न–भिन्न स्थानों के आंकड़ों की तुलना की जाती है तब हम एक ऐसी राशि प्राप्त करना चाहते हैं जो किसी समूह विशेष के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि कोई संख्या जो पूरे समूह की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है वह न तो अधिकतम और न तो न्यूनतम हो सकती है अपितु वह पूरे समूह के मध्य को या उसके आसपास

की ही संख्या होती है। यह संख्या उस समूह का माध्य कहलाती है। माध्य की यह विशेषता है कि पूरे समूह से अधिकांश पद–मूल्य, माध्य के आसपास ही एकत्रित रहते है। आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केन्द्रीय प्रवृत्ति कहते हैं।

प्रायः तीन प्रकार की केन्द्रीय प्रवृत्तियां प्रयोग में लाई जाती है।

(1) समानान्तर माध्य (2) माध्यिका (3) बहुलक

माध्य के उद्देश्य

(1) माध्य एकत्रित आंकड़ों का सक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है।

(2) इसके द्वारा दो वर्गों की तुलना सरल हो जाती है।

(3) माध्य उस समूह की रचना के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है।

(4) माध्य द्वारा समूह में निहित केन्द्रीय प्रवृत्ति को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

(5) माध्य सांख्यिकीय विवेचन का आधार है।

आदर्श माध्य के लक्षण

(1) माध्य की परिभाषा निश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसे अनुसंधानकर्ता के अनुपात पर नहीं छोड़ देना चाहिए।

(2) इसकी गणना सरल होनी चाहिए।

(3) इसे समस्त पद–मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।

(4) यह एक निश्चित संख्या होनी चाहिए।

(5) यह एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए अर्थात् यह शत प्रतिशत अथवा अन्य किसी सापेक्ष रूप में व्यक्त नहीं होनी चाहिए।

(6) न्यादर्श में होने वाले परिवर्तनों का इस पर न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए।

(7) यह अंकगणितीय तथा बीजगणितीय विवेचन के उपयुक्त होना चाहिए।

माध्यिका के गुण

(1) इसकी गणना सरल है तथा इसे आसानी से समझा जा सकता है।

(2) यह सुपरिभाषित है।

(3) इस पर चरम मानों का अधिक प्रभाव नहीं होता है।

(4) इसका प्रयोग ऐसी राशियों के लिए किया जा सकता है जिन्हें संख्यात्मक मान नहीं दिया जा सकता है जैसे स्वास्थ्य, बुद्धिमानी आदि।

(5) इसे ग्राफ द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

(6) इसकी गणना आंकड़े पूर्ण न होने पर भी की जा सकती है।

(7) इसको सरलता से समझा जा सकता है।

मानक विचलन

मानक विचलन, विश्लेषण की एक प्रमुख माप है। माध्य विचलन में हमने विचलन के धनात्मक अथवा ऋणात्मक स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया था हमने विचलन का निरपेक्ष मान ही लिया था। चिन्हों के प्रभाव को हम विचलन का वर्ग लेकर भी दूर कर सकते हैं मानक विचलन में वैसा ही किया जाता है। मानक विचलन में विचलन सदैव समान्तर माध्य से ही लिया जाता है। मानक विचलन विक्षेपण की एक आदर्श माप हैं जिसे सांख्यिकी में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है।

परिभाषा– मानक विचलन किसी श्रेणी के (समान्तर) माध्य से, उस श्रेणी में विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के समान्तर माध्य का वर्गमूल है। इसे 'विचलन वर्ग माध्य मूल' भी कहते है; तथ ग्रीक अक्षर ó(सिग्मा) द्वारा सूचित करते हैं। मानक विचलन को प्रमाप विचलन भी कहते है।

मानक विचलन के गुण

(1) यह दिए हुए आंकड़ों की श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है।

(2) यह विक्षेपंण की स्पष्ट तथा निश्चित माप है।

(3) यह गणितीय दृष्टि से शुद्ध होने से उच्च गणितीय गणना में प्रयुक्त किया जा सकता है।

(4) यह विभिन्न समूहों के विचरण की तुलना करने में उपयोगी है।

सांख्यिकीय प्रविधियाँ (Statistics Methods) :-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या हेतु प्रारम्भिक सांख्यिकी एवं आवश्यकतानुसार रेखाचित्र (Diagramm) प्रदर्शन विधियों का प्रयोग किया जायेगा।

(Scope)

प्रस्तुत अध्याय में शोध कार्य करने से अन्य गैर सरकारी संस्थायें एवं अन्य संस्थाऐं जो आज देश भर में फैल है और जिन्होंने देश में अपना नाम बनाया है। उन पर शोध कार्य किये जा सके।

प्रस्तावित अध्ययन का अनुप्रयोग एवं उपयोगिता– Utility (Usufullness) of the Study

(1) वर्तमान शोध के माध्यम से ग्वालियर संभाग में स्थापित प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा इन विद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही संस्कारयुक्त शिक्षा एवं विभिन्न शैक्षिक एवं शिक्षणेतर क्रियाकलापों के अध्ययन से अन्य संस्थाओं, विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित विद्यालयों को भी अपने विद्यालयों में आयोजित होने वाले क्रियाकलापों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी तथा प्रभावी योजना बनाने में मदद मिलेगी।

(2) वर्तमान अध्ययन से प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी संकल्पनाओं, आवश्यकताओं, विशेषताओं आदि के सन्दर्भ में अवधारणा स्पष्ट होगी, जिससे प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा तथा विभिन्न क्रियाकलापों के आयोजन को प्रभावी बनाने में सफलता प्राप्त होगी।

शोध का परिसीमन (Limitations of Research) :-

(1) प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग में आने वाले पांच जिलों में स्थापित प्राथमिक स्तर के सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों को न्यादर्श चयन विधि द्वारा चयनित किया जायेगा।

(2) सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों के एतिहासिक परिपेक्ष्य एवं उसके सम्प्रत्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करने के लिए तथा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के समग्र आकलन एवं जाँच हेतु प्राथमिक शिक्षा, भौतिक एवं मानवीय सुविधायें शैक्षिक एवं शिक्षणेतर क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रश्नावली का निर्माण किया जायेगा तथा प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रारम्भिक सांख्यिकी का भी प्रयोग किया जायेगा।

शोध में प्रयुक्त सम्प्रत्य (Used Words in Research) :-

ग्वालियर संभाग (Gwalior Reson) :-

ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में चम्बल घाटी से परिवेष्टित सघन वन एवं पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का पिछड़ा एवं कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है। उक्त संभाग के अन्तर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया व अशोक नगर जिले आते है।

ग्वालियर ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। साथ संगीत के क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान बनाये हुए है।

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर ग्वालियर संभाग की जनसंख्या 1057132 है।

स्वातंत्र्योतर (After Freedom) :-

स्वतंत्रता के पश्चात् अर्थात् 15 अगस्त 1947 के उपरान्त।

प्राथमिक शिक्षा (Primary Education) :-

कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा माना गया है। इसे अंग्रेजी में Basic शिक्षा या Primary Education कहा जाता है। महात्मा गाँधी ने इसे 'बुनियादी शिक्षा' का नाम दिया जिसका अर्थ होता है आधारभूत शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ 5 वर्ष की आयु से होता है तथा बालक 10 वर्ष की आयु में कक्षा 5 पास कर लेता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 'बेसिक विद्यालय' प्राइमरी पाठशाला, कान्वेट स्कूल, मिशनरीज विद्यालय तथा सरस्वती शिशु मन्दिर नामक संस्थायें समाज में प्रचलित है। डॉ. वेद भिम के

अनुसार–" प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ 5 वर्ष की आयु में 'विद्यारम्भ संस्कार' से होता था और सभी जातियों के बालकों के लिए यह शिक्षा अनिवार्य थी।इसका अभिप्राय यह है कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे।"

माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) :-

कुछ लोग केवल हायर सेकेण्डरी की शिक्षा को ही माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। कुछ लोग हाइस्कूल की IX और X कक्षा को ही सेकेण्डरी शिक्षा समझते हैं, परन्तु यह गलत है। सेकेण्डरी शिक्षा प्राइमरी और हायर सेकेण्डरी के बीच में दी जाने वाली शिक्षा है। दूसरे शब्दों में यदि स्कूल शिक्षा से प्राइमरी शिक्षा को निकाल दिया जाय, तो शेष को सेकेण्डरी शिक्षा कहा जायेगा। अतः सेकेण्डरी शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) में मिडिल, हाई एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाएँ सम्मिलित हैं। कुछ प्रांतों विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र तथा बिहार में 7 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा में, वहाँ मिडिल नहीं है। उनकी सेकेण्डरी शिक्षा तीन से पाँच वर्ष की है।

माध्यमिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है। समय परिवर्तन के साथ, उद्देश्य बदलते रहे हैं। वर्तमान स्थिति में भारत की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं और नयी–नयी समस्याएँ सामने आ रही हैं। माध्यमिक शिक्षा बहुत से बालकों के लिए अन्तिम सीढ़ी है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्यों की ओर ध्यान दिया जाय।

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी का माध्यमिक शिक्षा से आशय कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों पर शोध करना है।

उन्नयन (Progress/Development) :-

इसका आशय उत्थान या विकास से है।

योगदान (Contribution) :-

योगदान को अंग्रेजी में Contribution कहते हैं। सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों ने ग्वालियर संभाग की प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में उसमें गुणवत्ता लाने में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है। मिशनरी स्कूलों ने प्राथमिक शिक्षा पर अपना अधिपत्य जमाकर पिछड़े क्षेत्रों की जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने का काम किया था तथा शिक्षा के माध्यम से धर्मान्तरण को बढावा देकर हमारी संस्कृति पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया। सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों ने ऐसे सांस्कृति आक्रमण को रोकने के लिए उक्त क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया और शिक्षा की रिक्त पूर्ति करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा विकसित करने का सफल प्रयास किया जिसको प्राथमिक शिक्षा में मील का पत्थर कहा जा सकता है। सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों के इसी सहयोग का अध्ययन करते हुए समाज में इनकी उपयोगिता तथा श्रेष्ठता को उजागर करना ही शोधार्थी का लक्ष्य है।

"सरस्वती शिशु मन्दिर" नाम से पक्की बाग, गोरखपुर (उ.प्र.) में स्थापित हुआ। प्रारम्भ में पहले वर्ष 57 छात्र पंजीकृत हुए थे। वह आरम्भिक काल था, तब से अब तक इन विद्यालयों कीविकास यात्रा एक अद्भुत कहानी लगती है। प्रारम्भ में मात्र तीन शिक्षक कार्यकर्ता थे। प्रधानाचार्य थे स्व. कृष्णकान्त वर्मा मात्र हाईस्कूल उत्तीर्ण। इसके पूर्व वे संघ के तहसील प्रचारक थे। दूसरे प्रथम आचार्य श्री शंकर शरण श्रीवास्तव जो इन्टर की परीक्षा दे चुके थे। कालान्तर में हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता पद से अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त सम्प्रति "भारतीय शिक्षा शोध संस्थान" लखनऊ में निदेशक के पद पर आसीन हैं। तीसरे आचार्य श्री लक्ष्मीनारायण उपाध्याय। प्रतिबद्ध आचार्यों के समर्पण भाव से किये गये परिश्रम के परिणामस्वरूप, शिशुओं ने शैक्षिक तथा भावात्मक दृष्टि से अभूतपूर्व प्रगति की। इसके पश्चात् प्रवेशार्थियों की संख्या तथा विद्यालयों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती चली गयी। यह विद्यालय सर्वप्रथम प्रारम्भिक शिक्षा स्तर की शिशु से प्रारम्भ हुए तथा धीरे–धीरे समाज की मांग के अनुरूप प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रगति करते हुए गुणात्मक एवं संख्यात्मक दृष्टि से वृद्धि करते हुए एक–एक कड़ी जुड़ती गयी और श्रृंखला बड़ी होती गयी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जलाया गया यह दीपक क्रमशः अपने प्रकाश से सम्पूर्ण देश को प्रकाशित करने की भावना को लेकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब होते हुए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तक अखण्ड मण्डलाकार हो गया। इसके पश्चात् सभी के विचार विमर्श के बाद

विधान व नियमावली बनाकर "विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान" के नाम से दिल्ली में जून 1978 में पंजीकरण हो गया। विद्याभारती संरचनात्मक दृष्टि से एक संस्थान मात्र नहीं अपितु एक विचार तथा शिक्षा जगत् का आंदोलन बनगया है वर्तमान समय में सम्पूर्ण देश में चलने वाले कुल विद्यालयों की संख्या 25971 जिसमें 1,24,350 आचार्य–आचार्याओं के संरक्षण में 29,42,732 छात्र भैया–बहिन शिक्षा ग्रहण कर रहे है। अब यह देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन शिक्षा जगत् में बन गया है। लखनऊ एवं कुरूक्षेत्र इसके पंजीकृत उपकार्यालय हैं।

(6) Bibiliography

1. अग्रवाल, सरस्वती तथा रश्मि जायसवाल, (2007) "सरस्वती शिशु मन्दिर के अध्यापकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वर्ष–26 अंक–1, पृ. 43–48

2. गुप्ता, सत्येन्द्र (2005), "बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में सरस्वती विद्या मन्दिर संस्थाओं का शैक्षिक योगदान" प्रकाशित पी.एच.डी. थीसिस, एजूकेशन, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, पृ. 125–128

3. जायसवाल, सीताराम– "सरस्वती शिशु मन्दिर (पुरातन छात्रों की दृष्टि में एक सर्वेक्षण" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका लखनऊ (अंक जनवरी 1983 पृ. 59–62)

4. तोमर, लज्जाराम (1987) "भारतीय शिक्षा के मूल तत्व" नई दिल्ली सुरूचि प्रकाशन पृ.–8

5. पाण्डेय, विष्णुप्रकाश (1988) "छात्रों के ज्ञानार्जन एवं मनो सामाजिक विकास के सन्दर्भ में सरस्वती शिशु मन्दिरों का अध्ययन", प्रकाशित पी.एच.डी. थीसिस, एजूकेशन, लखनऊ विश्वविद्यालय

6. बाजपेयी, एल.बी. (2000), "भारतीय शिक्षा का विकास एवं समयिक प्रवृत्तियाँ", इलाहबाद, आलोक प्रकाशन, पृ. 320–331

7. भटनागर, आर.पी. एवं अग्रवाल विद्या (1999), "एजूकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन प्लानिंग एवं फाइनेन्सिंग" पाँचवा संस्करण, मेरठः सूर्या पब्लिकेशन, पृ.–44

8. मित्तल वी. के. (1982), "प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की मनोवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन"– भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, अंक जनवरी, 1982, पृ. 41–50

9. मिश्र, आत्मानन्द (1977), "शिक्षा कोष" कानपुर : ग्रन्थम्, पृ.–44

10. सिंह, राणाप्रताप (1993), "सरस्वती शिशु मन्दिर योजना–एक परिचय" कानपुर : श्याम प्रकाशन, पृ. 63–64

11. सिंह, सम्पत (2002), " सरस्वती शिशु मन्दिर योजना स्वर्ण जयन्ती स्मारिका" विद्या भारती पूर्वी उ.प्र. क्षेत्र, लखनऊ, पृ. 11–14 एवं 83–90

12. त्रिपाठी, शिवदत्त (2008) "मूल्योंन्मुख शिक्षा के विकास में सरस्वती विद्यामन्दिर विद्यालयों की भूमिका" अप्रकाशित पी.एच.डी. थीसिस, एजूकेशन, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, पृ. 59–64

(English)

1. Buch, M.B.(1992) Fifth Survey of Research in Education Delhi N.C.E.R.T.

2. Buch, M.B.(1993-2000) Sixth Survey of Research in Education Delhi N.C.E.R.T.

3. M.H.R.D. (1986), National Policy on Education, New Delhi : Govt. of India

4. Ministry of Education (1964-66) Report of Education Commission New Delhi : Govt. of India.

5. Ministry of Education (1985) Challange of Education : A policy Perspective New Delhi.

प्रस्तावित शोध विषय की विस्तृत रूपरेखा

(Chepterisation) :-

अध्याय–प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय–द्वितीय–सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

अध्याय–तृतीय–कार्य विधि

अध्याय–चतुर्थ–स्वातंत्रोत्तर भारत में शिक्षा का विकास

अध्याय–पंचम–सरस्वती शिशु मंदिर योजना का विकास

अध्याय– षष्ठम– तथ्य संग्रह

अध्याय–सप्तम–परिकल्पना की जाँच

अध्याय–अष्ठम–निष्कर्ष एवं सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

परिशिष्ट